फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर शहर प्रथम

नाम न्यायालय | बनाम रामप्रकाश / मोहन

केस संख्या 4001 - 185/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	~~[illegible]~~	~~प्रार्थी/प्रतिवादी / वकील~~
	28/3/23	वकील वादी को अधिनियम धारा 14/12/2004 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 को तलबी, अधिनियम धारा 20/12/23 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01/04 को रिमांड प्रोसेस के साथ बिल अपना प्रेषण करके आज्ञप्त प्रसारण किया गया। पश्चात वकील वादी को प्रतिवादी को तलबी के लिए दि. 31.10 तलबी करवाने की छूट पश्चात 01 वर्ष वादी द्वारा प्रतिवादी के स्थायी पता प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी के स्थायी पते पर दि. 31.10 तलबी / संशोधित आज्ञप्त, रिमांड प्रोसेस की गयी। पश्चात वकील वादी इनके डाक खर्चा देने से विमुख रहे हैं। अतः वकील वादी का वाद अधिक 09 दिवस तक पोषणीय नहीं होने से वादिक निरस्त होवे। प्रार्थी द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 4/4/23 तारीख नियत करावे।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम